संख्या:43/2019/135/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर की विधान सभा- बांसगांव, सहजनवा, चौरी-चौरा, गोरखपुर ग्रामीण, कैम्पियरगंज, गोरखपुर शहर, पिपराइच एवं खजनी से संबंधित कार्यो हेतु रू. 3999.65 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 3898.43 लाख (रूपये अड़तीस करोड़ अट्ठानबे लाख तैंतालीस हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	बासगांव	ग्राम पाली पश्चिम तिघरा पटवारी से इस्माईलपुर तक पिच निर्माण कार्य	1.00	80.79	80.79
2	बासगांव	ग्राम मलांव पासी टोला से सम्पर्क मार्ग तक नया पिच निर्माण कार्य	1.45	99.85	99.85
3	बासगांव	ग्राम मलांव पी0डब्लू0डी0 सड़क से कनईल बाध तक नया पिच निर्माण कार्य	0.70	49.70	49.70
4	बासगांव	पाली पिच मार्ग से नसीरपुर पिच मार्ग तक नया पिच कार्य	1.19	82.31	82.31
5	बासगांव	भैंसही पिच मार्ग भटटा से झझंवा होते हुये पाली पिच मार्ग तक नया पिच कार्य	1.46	97.13	97.13
6	बासगांव	ग्राम पतरैठा पी0डब्लू0डी0 सड़क/प्रा0वि0 से बारात घर तक लेपन कार्य	0.612	56.56	56.56
7	बासगांव	ग्राम टैंटरी मुख्य सड़क से पोतना देवी के मकान से प्रा0वि0 कोपवां तक लेपन कार्य	0.476	33.65	33.65
		योग वि0स0 क्षेत्र बासगांव	**6.888**	**499.99**	**499.99**
8	सहजनवा	खजनी-बासगॉव मार्ग कि0मी0 04 से मरवटिया प्रजापति टोला तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.684	59.29	59.29
9	सहजनवा	टेकवार-कूडाघाट मार्ग पर टेकवार पोखरा से कोठा गॉव तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.390	29.91	29.91
10	सहजनवा	ग्राम नन्दापार से सन्तराज के घर से दरबारी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.380	33.72	33.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	सहजनवा	ग्राम बुदहट में हरपुर बुदहट पिच मार्ग से जोखन पाण्डेय के घर से कटसहरा मगहर मार्ग नर्वदेश् वर द्विवेदी के घर सी0सी0 रोड का निर्माण	0.740	58.19	58.19
12	सहजनवा	बेदौली चौराहे से विजयनाथ उपाध्याय के घर तक लगभग सी0सी0 रोड का निर्माण	0.300	25.64	25.64
13	सहजनवा	सिधवलिया पुलिया से भोलेनाथ स्थान होते हुये फुलमन यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.350	25.60	25.60
14	सहजनवा	ग्राम खरैला में गोरख सिंह के घर से जनार्दन सिंह के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.275	23.11	23.11
15	सहजनवा	ग्राम नेवास में साधु कण्डक्टर के घर से दिवाकर तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.350	29.14	29.14
16	सहजनवा	ग्रा डोहरिया कला से भूतहिया पोखरे से अखिलेश पाण्डेय के घ्ज्ञर के दक्षिण तरु मेन आर0सी0सी0 तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.190	18.59	18.59
17	सहजनवा	ग्राम नहर चौराहा बेलौरा मार्ग मुख्य सड़क से बिकारा गांव तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.406	34.03	34.03
18	सहजनवा	ग्राम पनिका में होरी लाल के घर से जूनियर हाई स्कूल विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.658	56.67	56.67
19	सहजनवा	ग्राम पंचायत नारंगीपटटी में रामसूरत के घर से इन्द्रासन के बंगला तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.700	58.96	58.96
20	सहजनवा	ग्राम सतुआभार रावत-ढाई मार्ग से नयपरा पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.560	47.15	47.15
		योग वि0स0 क्षेत्र सहजनवा	**5.983**	**500.00**	**500.00**
21	चौरी-चौरा	सुगहा पानी टंकी से अमारी सरार सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	1.75	120.12	120.12
22	चौरी-चौरा	थुन्नी लेडुआपार प्रधानमंत्री सड़क से सुरेश सिंह के घर तक लेपन कार्य	1.35	94.52	94.52
23	चौरी-चौरा	गोपलापुर पकडडीहा पुलिया से लेकर दिनेश तिवारी के घर तक लेपन कार्य	0.90	58.37	58.37
24	चौरी-चौरा	गंजाइकोल बूढन टोला होते हुये बकसूडी प्रा0 पाठशाला तक लेपन कार्य	1.80	125.41	125.41
25	चौरी-चौरा	सरदार नगर ब्लाक-रामपुर बुजुर्ग में एन0एच0-28 धनेश के घर से प्रेम नारायण सिंह लिंक रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.70	53.60	53.60
26	चौरी-चौरा	बेलवा खुर्द राजवीर मौर्या के आरा मशीन से विसुनपुर पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण	0.63	47.85	47.85
		योग वि0स0 क्षेत्र चौरी-चौरा	**7.13**	**499.87**	**499.87**
27	गोरखपुर ग्रामीण	भौवापर बेला बन्धे से कलानी बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.83	64.80	64.80
28	गोरखपुर ग्रामीण	ग्राम पंचायत जंगलरानी में बनशप्ती से खरोहवा मार्ग से बडेरिया राजकुमार सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.40	23.77	23.77
29	गोरखपुर ग्रामीण	गोरखपुर खजनी मार्ग हरैया पराग डेरी से भिलोरा पेवनपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.75	44.16	44.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
30	गोरखपुर ग्रामीण	राजघाट पुल से फोरलेन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	**3.00**	**202.44**	**101.22**
31	गोरखपुर ग्रामीण	मेतीराम झंगहा मार्ग से खुशरू टोला होते हुये कुर्मियान टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.66	41.68	41.68
32	गोरखपुर ग्रामीण	मलौनी बन्धे से सेन्दुली-बिदुली ढ़ाले से गाय घाट होते हुये रामपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.40	92.89	92.89
33	गोरखपुर ग्रामीण	मलौनी बन्धे से अगहर ढाले से कमला निषाद के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.50	30.26	30.26
		योग वि0स0 क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण	**7.54**	**500.00**	**398.78**
34	कैम्पियरगंज	प्रतापपुर अम्बेडकर कन्या विद्यालय से पुरवा टोला होते हुये शेरपुर चमराह कृष्णा बाबू के घर तक पिच रोड का निर्माण	0.50	45.64	45.64
35	कैम्पियरगंज	भण्डारों मुख्य मार्ग से राकेश प्रधान के घर तक पिच रोड का निर्माण	0.78	46.21	46.21
36	कैम्पियरगंज	ग्राम मटियारी में पिच रोड से मनोज मिश्रा के घर तक पिच रोड का निर्माण	0.80	51.65	51.65
37	कैम्पियरगंज	ग्राम भीटी तिवारी में मुख्य मार्ग से अरविन्द तिवारी के घर तक पिच रोड का निर्माण	0.56	34.64	34.64
38	कैम्पियरगंज	ग्राम फरदहनी में राखूखोर मार्ग से शैलेन्द्र मणि के घर होते हुये दलित बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कार्य	0.50	43.50	43.50
39	कैम्पियरगंज	ग्राम राखूखोर में विन्देश्वरी बढ़ई के घर से राम अचल चौरसिया के घर होते हुये विन्द्र चौबे के घर पिच मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य	0.54	34.91	34.91
40	कैम्पियरगंज	बी0एम0सी0टी0 राजमार्ग से भैसला सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य	0.28	17.70	17.70
41	कैम्पियरगंज	ग्राम कल्याणपुर में अतुल श्रीवास्तव (वर्मा) के घर से अकटहवा पिच मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य	0.75	47.98	47.98
42	कैम्पियरगंज	चौरी में शिवपूजन के घर से बेचन गुप्ता के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य	0.35	27.62	27.62
43	कैम्पियरगंज	ग्राम रमवापुर से विशुनपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य	1.00	76.76	76.76
44	कैम्पियरगंज	ग्राम बडुआ में संजय सिंह के खेत से पवन सिंह के खेत तक पिच रोड का निर्माण	0.425	38.75	38.75
45	कैम्पियरगंज	सनगद में लालमन चौधरी के घर से पी0डब्लू0डी0 सड़क तक पिच रोड का निर्माण	0.500	34.55	34.55
		योग वि0स0 क्षेत्र कैम्पियरगंज	**6.985**	**499.91**	**499.91**
46	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 53 मु0 छोटे काजीपुर में बनकटी चक चौराहा (डायमण्ड किराना स्टोर) से शिव मंदिर, रामदयाल गुप्ता एवं तुरहा चौराहा तक सी0सी0 कार्य	0.67	39.50	39.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
47	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 60 मु0 सर्वोदय नगर (चिलमापुर) रोड (दयाशंकर चंद) से धुरवगुप्ता, आनन्द मिश्रा, रानू शाही एवं अजय श्रीवास्तव तक अनीता शाही से नरसिंह पाण्डेय, रामचन्द्र पाण्डेय एव शारदालाल श्रीवास्तव तक सी0सी0 रोड	0.724	43.83	43.83
48	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 16 मु0 शास्त्रीपुरम में अनिल गुप्ता से हरिशंकर दिवेदी एवं एस0एन0 शुक्ला से डा0 जे0पी0 शर्मा तथा एम0 वेग से कैलाशवती कुंज तक सी0सी0 रोड	0.845	74.42	74.42
49	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 13 मु0 सरस्वतीपुरम में जेल वाई पास से रामजानकी मंदिर होते हुये राजेश सिंह, सुदामा गिरी से एस0एन0 मिश्रा, श्री कृष्ण प्रकाश पाण्डेय से प्रमोद दूबे, नथुनी यादव से अर्जुन, काशीनाथ सिहं से देवनन्दन शर्मा एवं जितेन्द्र श्रीवास्तव के मकान के पास सी0सी0 रोड	0.911	73.59	73.59
50	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 18 मु0 जंगलतुलसीराम से सत्यम जनरल स्टोर से डा0 सी0पी0 पाण्डेय, सर्वानन्द, एवं के0एन0 वर्मा, कन्हैयालाल गुप्ता से रामभरोस सिंह, दीपचन्द से न्यूदुर्गा टेंट हाउस एवं रूदल गुप्ता से बरखा देवी तक सी0सी0 रोड	0.486	27.26	27.26
51	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 28 मु0 शिवपुर सहबाजगंज संगम चौराहे के पास चन्द्रदेव यादव से रमाकान्त सिंह तक एवं मु0 मानसविहार में संतोष कुमार से विजय बहादुर सिंह, बदी मिश्र से धनन्जय गिरि तक सी0सी0 रोड	0.460	30.39	30.39
52	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 03 मालवीर नगर में मुख्य मार्ग से डायनिक स्कूल, चू0पी0 सिंह से गीता पाण्डेय, पानी टंकी से गिरीश शुक्ला, रेनू राव से अजीत कुमार पाण्डेय, मुक्तिनाथ पाण्डेय से मनोज श्रीवास्तव तक सी0सी0 रोड	0.510	32.40	32.40
53	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 05 मु0 सैनिक विहार/कुन्ज में मुस्तफा से सैनिक विहार गेट, सत्यनरायन से श्रीपति चौधरी, बसुन्धरा हार्डवेयर से न्यूटेन्ट हाउस, राधारमन से अस्थाना, विशाल गुप्ता से एस0के0 गिरि, लालजी से जयसिंह तक सी0सी0 रोड	1.045	66.98	66.98
54	गोरखपुर शहर	वार्ड नं0 04 मु0 मानवेला में फर्टिलाइजर गेट से दुर्गा मंदिर (चौधरी टोला) तक सी0सी0 रोड	0.600	51.98	51.98
55	गोरखपुर शहर	सिघडिया चौराहा से शिवनगर की मुख्य सड़क को सी0सी0 रोड बनाने का कार्य	0.625	59.65	59.65
		योग वि0स0 क्षेत्र गोरखपुर शहर	**6.876**	**500.00**	**500.00**
56	पिपराइच	विकास खण्ड भटहट के अन्तर्गत मुडिया चौराहे से पूरब लल्लू राजभर के घर से चकदहा होते हुए सिधावल बड़ा टोला जय प्रकाश के भट्ठे तक सम्पर्क मार्ग	2.00	120.44	120.44
57	पिपराइच	विकास खण्ड भटहट के अन्तर्गत गोरखपुर-महराजगंज रोड से बरगदही टोला बजहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.73	49.37	49.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
58	पिपराइच	विकास खण्ड भटहट के अन्तर्गत ग्राम सभा- रसूल झुगिया प्रा0 विद्यालय से नहर पुल तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य।	0.30	28.67	28.67
59	पिपराइच	विकास खण्ड पिपराईच के अन्तर्गत जगदीशपुर मार्ग के किमी0 -03 से सिंघोरवा गॉव से स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए मोहनापुर गॉव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.27	89.96	89.96
60	पिपराइच	विकास खण्ड पिपराईच के अन्तर्गत पिपराईच एन0एच0-28 से ग्राम सभा- रामूडीह से छोटा टोला (कुम्हार टोला) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.50	35.08	35.08
61	पिपराइच	विकास खण्ड पिपराईच के अन्तर्गत पिपराईच जगदीशपुर मार्ग के सिघोरिया गॉव जन्हदी नाला से गोपालपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.24	84.73	84.73
62	पिपराइच	विकास खण्ड चरगॉवा के अन्तर्गत पप्पू कटरा से हैदरगंज वाले रोड पर निरन्जन निषाद के आफिस से रश्मी गुप्ता, पंकज अग्रवाल , राजेश यादव के घर होते हुए राकेश प्रजापति के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.58	41.00	41.00
63	पिपराइच	विकास खण्ड चरगॉवा के अन्तर्गत बालापार टिकरिया मार्ग से (प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज) टोला मानीराम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.23	10.30	10.30
64	पिपराइच	विकास खण्ड कौडिया के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगलपुर, टोला कजरहटे भागी गुप्ता के घर से परमानन्द निषाद के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.72	40.35	40.35
		योग वि0स0 क्षेत्र पिपराईच	**7.57**	**499.90**	**499.90**
65	खजनी	महादेवा हुडरी मार्ग के किमी0 1.50 से शुभराजी देवी डिग्री कालेज के पास से सहुआ सम्पर्क मार्ग का पिच कार्य	0.750	67.17	67.17
66	खजनी	महादेवा हरिहरपुर मार्ग के मोड़ से विधायक टोला मार्ग होते हुये ग्रामोदय इण्टर कालेज तक पिच कार्य	0.850	64.34	64.34
67	खजनी	वेलघाट त्रिलोकीपुर मार्ग से मरसी-दूबे टोला शून्य से लेपन कार्य	0.415	44.48	44.48
68	खजनी	वेलघाट सोमवापुर मार्ग से मिश्रौलिया मार्ग शून्य से लेपन कार्य	0.800	61.58	61.58
69	खजनी	चैतरा बाबू से महुतलया तक लेपन कार्य	1.500	129.86	129.86
70	खजनी	महुलिया से गोधना मार्ग तक लेपन कार्य	1.280	132.55	132.55
		योग वि0स0 क्षेत्र खजनी	**5.595**	**499.98**	**499.98**
		योग जनपद गोरखपुर	**54.57**	**3999.65**	**3898.43**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न(Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-1 से 45 एवं 56 से 70 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-46 से 55 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:43/2019/135(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।